फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/ 8190-8206 दिनाँकः 18-12-19

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. (डॉ.) राधेश्याम शर्मा, (पूर्व कुलपति, डॉ.एसआरराआविवि,जो.), 132, वृन्दावन कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, झोंटवाड़ा, जयपुर
3. श्री बाबूलाल कोठारी(I.A.S.), सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
4. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5. प्रो. अब्दुल शकूर, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
6. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
7. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
8. श्रीमति सीमा शर्मा(I.A.S.), निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
9. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
10. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
11. प्रो. महेन्द्र सिंह मीना, पूर्व निदेशक, एन.आई.ए., जयपुर (56-A जनकपुरी प्रथम, इमली फाटक, जयपुर)
12. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
13. प्रो. रविन्द्र कुमार, प्राचार्य, श्री भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर (चूरू)
14. डॉ. इन्दुमती शर्मा, एसो.प्रोफेसर, कायचिकित्सा विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
15. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शी (ए), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
16. श्रीमति प्रेमलता श्रीमाली (अतिरिक्त निदेशक) एवं प्रतिनिधि, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर
17. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

**विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 23वां उपवेशन दिनाँक 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का **23**वां उपवेशन, जो दिनाँक **11** दिसम्बर **2019** को दोपहर **02.00** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया था, में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

संलग्न :- उपर्युक्त कार्यवाही विवरण।

कुलसचिव

# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

## प्रबन्ध बोर्ड का 23वां उपवेशन

# 11 दिसम्बर 2019

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -2795302
0291 -2795304

# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

**प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)**
**Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in**

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(**BOM**)/(01)/V/06-07/ दिनाँकः

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का **23**वां उपवेशन, जो दिनाँक **11** दिसम्बर **2019** को दोपहर **02.00** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए-

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. (डॉ.) राधेश्याम शर्मा, (पूर्व कुलपति, डॉ.एसआरराआविवि,जो.), 132, वृन्दावन कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, झोंटवाड़ा, जयपुर
3. श्री बाबूलाल कोठारी(I.A.S.), सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
4. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5. प्रो. अब्दुल शकूर, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
6. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
7. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
8. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
9. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष एवं एसो. प्रो., क्रिया शारीर विभाग एवं प्राचार्य, आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, करवड़, जोधपुर
10. प्रो. महेन्द्र सिंह मीना, पूर्व निदेशक, एन.आई.ए., जयपुर (56-A जनकपुरी प्रथम, इमली फाटक, जयपुर)
11. प्रो. रविन्द्र कुमार, प्राचार्य, श्री भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर (चूरू)
12. डॉ. इन्दुमती शर्मा, एसो.प्रोफेसर, कायचिकित्सा विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
13. श्रीमति प्रेमलता श्रीमाली (अतिरिक्त निदेशक) एवं प्रतिनिधि, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर
14. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए जिनकी अनुपस्थिति पर सहमति प्रदान की गई।

1. श्रीमति सीमा शर्मा(I.A.S.), निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
2. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
3. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शी (ए), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

सर्वप्रथम प्रबन्ध बोर्ड के दिनाँक 11 दिसम्बर 2019 को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

| क्र.सं. | चर्चा बिन्दु विवरण | प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय |
|---|---|---|
| 1. | **प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनाँक 22.07.2019 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।** | प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनाँक **22.07.2019** के एजेण्डा बिन्दु संख्या- **10** के सम्बन्ध में पुनः विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक **22.07.2019** में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय की ही अनुपालना की जाए।<br>प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनाँक **22.07.2019** में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिए गए शेष समस्त निर्णयों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| 2. | **विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 24.01.2019, 22.07.2019 एवं 11.12.2019 की कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।** | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| 3. | **श्री शशि शेखर जोशी, सेवानिवृत्त परीक्षा नियंत्रक को दिये गये आरोप-पत्र पर विचार-विमर्श।** | प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूंकि श्री शशिशेखर जोशी द्वारा इसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति भी दे दी गई है तथा श्री जोशी के सेवानिवृत्ति उपरान्त रोकी गई अल्प राशि का भी कोई औचित्य नहीं लगता। अतः कुलसचिव प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। जिस पर निर्णय लेने बाबत माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। |
| 4. | **विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 22.07.19 के तहत विश्वविद्यालय के रिसर्च बोर्ड के गठन हेतु O.79-A में वर्णित रिसर्च बोर्ड गठन हेतु O.79-A के बिन्दु संख्या-VI के अनुसार तीन सदस्यों का चयन करने हेतु विचार-विमर्श।** | विद्या परिषद् की बैठक दिनांक **11.12.2019** के एजेण्डा बिन्दु संख्या-**1** में विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक **22.07.2019** के एजेण्डा बिन्दु संख्या-**17** के सम्बन्ध में तीन सदस्यों को विद्या परिषद् द्वारा चयन करने बाबत माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जा चुका है।<br>अतः इस पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया। |

| क्र.सं. | चर्चा बिन्दु विवरण | प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय |
|---|---|---|
| 5. | राज्य के अधीन बोर्ड/निगम/अन्य स्वायतशाषी संस्था में रु.3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से करवाये जाने बाबत विचार-विमर्श। | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| 6. | डॉ. महेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन एवं अकादमिक) एवं श्री शेरूदान चारण, कार्यालय सहायक की क्रमशः उपकुलसचिव एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति की पुष्टि के क्रम में। | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| 7. | विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ग को पातेय वेतन के आधार पर वरिष्ठ पद पर कार्य व्यवस्थार्थ लगाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजने के क्रम में चर्चा। वर्तमान में सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के बीच वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर के पद को सेवानियम में शामिल किया गया है जबकि वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर का एक भी पद स्वीकृत नहीं है। अतएवं कितने पद वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर के होने चाहिए एवं सहायक प्रोफेसर पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में एवं प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाने पर निर्णय लिया जाना। | इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति गठित करने एवं उस पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के आवश्यक मानकों की पूर्ति हेतु कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के अनुसार योग्यता एवं अनुभव पूर्ण कर रहे शिक्षकों को अग्रिम पदनाम प्रदान करने हेतु चूंकि इसमें किसी प्रकार का वित्तीयभार विश्वविद्यालय पर नहीं होगा। यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। |
| 8. | पंचकर्म तकनीकी सहायक पद सृजन बाबत विचार-विमर्श। | पंचकर्म तकनीकी सहायक पद सृजन बाबत उनकी योग्यता एवं सेवानियमों के सम्बन्ध में एक समिति बनाने हेतु तथा इन 20 पदों (10 पुरूष व 10 महिला) का सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। |
| 9. | वित्त एवं लेखा समिति के निर्णयों पर विचार एवं अनुमोदन। | विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति की बैठक दिनांक 04.12.2019 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |



2

| क्र.सं. | चर्चा बिन्दु विवरण | प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय |
|---|---|---|
| **10.** | विश्वविद्यालय के पदोन्नति के अनुभव में शिथिलता, नवीन पद स्वीकृत करवाने एवं सेवानियमों में संशोधन बाबत। | इस हेतु एक तीन सदस्य समिति जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त नियन्त्रक एवं उपकुलसचिव का गठन करने का निर्णय एवं समिति से प्राप्त रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। |
| **11.** | अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। | |
| | 1. डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक में छात्रसंघ पदाधिकारी मनोनयन के संबंध में। | 1. विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ विनियमन बनाया जाए इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति के गठन हेतु तथा इस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया। |
| | 2. **"डॉ. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता योग पद की अहताऐं पूर्ण करते है तथा अधिष्ठाता बनाए जाने की पात्रता रखते है अथवा नहीं"** सदस्तावेजों के आधार पर जांच कर प्राप्त जांच रिपोर्ट पर विचार-विमर्श। | 2. पूर्व में गठित समिति इस पर पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करे। माननीय कुलपति महोदय को इस पर आवश्यक निर्णय लेने बाबत अधिकृत किया गया। |

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या **2** से **6** तक)।

सदस्य सचिव